न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी सांचौर,
जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 09 / 2016
जीसीएमएचः– 2016 / 00073

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मफाराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार निवासी पलादर तहसील सांचौर जिला सांचौर राज.		1. राज पुत्र पुराराम। 2. वना पुत्र पुराराम। 3. पैलाद पुत्र पुराराम। 4. मगना पुत्र पुराराम। 5. हुकमा पुत्र पुराराम जातियान–कुम्हार निवासीगण प्लादर तह–सांचौर जिला सांचौर राज. 6. तहसीलदार सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजूः– 10.08.2016

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीम शॉह।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार विश्नोई उपस्थित ।
3. अप्रार्थी संख्या 6 एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक 10.07.2024

प्रार्थी मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा पलदार पटवार हल्का विरोल तहसील सांचौर में के मूल निवासी है तथा प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण 1 ता 5 स्व. पुराराम की संतान है मुझ प्रार्थी का वास्तविक नाम मफाराम है, मगर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम पलादर पटवार हल्का विरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 59,60,6162, 112, 113,114,115,116,117,118,119,156,171,177,661,662, कुल रकबा 23.95 हैक्टयर में मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में अधिकारियों व कर्मचारियों की लिपिकीय भूल से मफाराम के स्थान पर रायमल दर्ज कर दिया गया है जबकि मेरा सही नाम मफाराम है जो मेरे नाम से जारी परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, व मतदाता परिचय पत्र, इत्यादि सभी दस्तावेजात में मेरा नाम मफाराम दर्ज है। जिससे पूर्णतया साबित है। कि प्रार्थी का वास्तविक मफाराम है। अतः उक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का लिपिकी भूल से दर्ज नाम रायमल की जगह वास्तविक नाम मफाराम दुरुस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 6 सूचना बावजूद अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार विश्नोई ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में मौजा पलादर के वर्णित खसरा नम्बर व राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से मफाराम की जगह रायमल दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम मफाराम है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती की जाती है तो हमें कोई आपत्ती नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:13 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक से अध्ययन–अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन करते हुए संगत विधि प्रावधानो का अध्ययन किया गया। । अप्रर्थीगण के प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान परिचय पत्र , राशन कार्ड, एवं आधार

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड की प्रतिया प्रस्तुत की है अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की आरे से प्रस्तुत जवाव में प्रार्थी का नाम मफाराम दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारगर्भित एवं भली प्रकार सावित होने से स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल तहसील सांचौर के खसरा नम्बर क्रमशः नम्बर 59, 60, 61, 62, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 156, 171, 177, 661, 662, कुल रकबा 23.95 हैक्टयर भूमि में दर्ज रामयल के स्थान पर मफाराम दर्ज किया जावे। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

उक्त आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner